(13)

म संख्या--459

रजि0 नं0 एल. डब्लू./एन. पी. 580
लाइसेन्स नं0 डब्लू0 पी0--41
लाइसेन्स टू पोस्ट एट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग--1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, बुधवार, 31 अगस्त, 1994

भाद्रपद 9, 1916 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग--1

संख्या 1330/सत्रह-वि-1-1-(क)-5-94

लखनऊ, 31 अगस्त, 1994

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ (संशोधन) विधेयक, 1994 पर दिनांक 27 अगस्त, 1994 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 21 सन् 1994 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 1994

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 21 सन् 1994]

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ अधिनियम, 1960 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के पैंतालीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :--

1--(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 1994 कहा जायगा। संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(2) यह 16 जून, 1994 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 16 सन् 1960 की धारा 14 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ अधिनियम, 1960 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 14 में, उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारायें रख दी जायेंगी, अर्थात् :—

"(2) यदि किसी न्यायालय के किसी अन्तरिम आदेश के परिणामस्वरूप या किसी अन्य कारण से राज्य सरकार नये बोर्ड की यथोचित रूप से संघटित किये जाने की विज्ञप्ति जारी करने में असमर्थ हो या ऐसी विज्ञप्ति के जारी होने के पश्चात् नया बोर्ड कार्य करने में असमर्थ हो तो राज्य सरकार, न्यायालय के किसी अन्तरिम आदेश की दशा में, ऐसे आदेश के क्रियाकाल के दौरान, और किसी अन्य दशा में एक वर्ष से अनधिक अवधि के लिये, बोर्ड के नियंत्रक के रूप में, यथास्थिति, कोई सुन्नी मुस्लिम अधिकारी या शिया मुस्लिम अधिकारी, जो राज्य सरकार के संयुक्त सचिव से निम्न स्तर का न हो नियुक्त कर सकती है और ऐसा नियंत्रक, बोर्ड और उसके अध्यक्ष और सदस्यों के सभी कृत्यों का निर्वहन, अधिकारों का प्रयोग और कर्तव्यों का पालन करेगा।

(3) उपधारा (2) के अधीन किसी नियंत्रक की नियुक्ति पर, उपधारा (2) के, जैसी कि वह उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 1994 के प्रारम्भ के पूर्व थी, अधीन नियंत्रक के रूप में नियुक्त व्यक्ति ऐसा नियंत्रक नहीं रह जायेगा।"

निरसन और अपवाद

3—(1) उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ (संशोधन) (द्वितीय) अध्यादेश, 1994 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी, मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

आज्ञा से,

नरेन्द्र कुमार नारंग,

सचिव।

No. 1330 (2)/XVII-V-1—1 (KA)-5/1994

Dated Lucknow, August 31, 1994

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Muslim Waqfs (Sanshodhan) Adhiniyam, 1994 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 21 of 1994) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on August 27, 1994.

THE UTTAR PRADESH MUSLIM WAQFS (AMENDMENT) ACT, 1994

[U.P. ACT No. 21 OF 1994]

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Muslim Waqfs Act, 1960.

IT IS HEREBY enacted in the Forty-fifth Year of the Republic of India as follows :—

Short title and commencement

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Muslim Waqfs (Amendment) Act, 1994.

(2) It shall be deemed to have come into force on June 16, 1994.

Amendment of section 14 of U. P. Act no. 16 of 1960

2. In section 14 of the Uttar Pradesh Muslim Waqfs Act, 1960, hereinafter referred to as the principal Act, *for* sub-section (2), the following sub-sections shall be *substituted*, namely :—

"(2) Where as a result of any interim order of any Court, or for any other reason, the State Government is unable to issue a notification of due constitution of the new Board or after such notification is issued the new Board is unable to function, the State Government may, in the case of any interim order of a Court, for the duration of such order, and

in any other case, for a period not exceeding one year, appoint a Sunni Muslim officer or as the case may be, a Shia Muslim officer, not below the rank of a Joint Secretary to the State Government, as Controller of the Board, and such Controller shall perform, exercise and discharge the functions, powers and duties of the Board as well as of its President and Members.

(3) On the appointment of a Controller under sub-section (2), the person appointed as Controller under sub-section (2) as it stood before the commencement of the Uttar Pradesh Muslim Waqfs (Amendment) Act, 1994; shall cease to be such Controller."

U.P. Ordinance no. 11 of 1994

3. (1) The Uttar Pradesh Muslim Waqfs (Amendment) (Second) Ordinance, 1994 is hereby repealed. Repeal and saving

(2) Notwithstanding such repeal anything done or any action taken under the provisions of the principal Act, as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1), shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act, as amended by this Act, as if the provisions of this Act were in force at all material times.

By order,
N. K. NARANG,
Sachiv.

पी०एस०यू०पी०—ए०पी० 146 सा० विधा०—(1464)—1994—850 (मेक०)।